भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड–3 उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 73 (आर.ई.–2013)/2009–2014
नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च, 2014

विषयः प्याज की निर्यात नीति।

सा.आ.(अ.) विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैरा 1.3 के साथ पठित यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा प्याज के निर्यात से संबंधित निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची–2 के अध्याय–7 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची–2 के अध्याय–7 में प्याज के निर्यात से संबंधित कम सं0 51 और 52 के लिए शीर्षक "निर्यात नीति" के तहत कालम को संशोधित कर "राज्य व्यापार उद्यम" के स्थान पर "मुक्त" के रूप में पढ़ा जाएगा। तद्नुसार तालिका के नीचे की टिप्पणी–1 हटाई जाती है। तालिका अब निम्नानुसार होगीः–

अध्याय–7

खाद्य सब्जियाँ और कुछ जड़ें एवं कन्द

टिप्पणी 1ः– इस अध्याय में प्याज के संदर्भ मे ताजे अथवा हिमशीतित, अनंतिम रूप से संरक्षित अथवा शुष्कित प्याज शामिल हैं।

क्रम सं0	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
51	07031010 07122000	किग्रा.	प्याज (बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज को छोड़कर सभी किस्में) कटे हुए, टुकड़े या पाउडर रूप में विखंडित को छोड़कर	मुक्त	

52	07031010 07122000	किग्रा.	कटे टुकड़े या पाउडर रूप में विखंडित को छोड़कर बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज	मुक्त	
53	07122000	किग्रा.	कटे टुकड़े या पाउडर रूप में विखंडित को छोड़कर बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज	मुक्त	

अध्याय 7 की निर्यात लाइसेंसिंग टिप्पणी

टिप्पणी 1– हटा दी गई है।

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

प्याज के निर्यात को मुक्त कर दिया गया है। क्रम सं0 51 और 52 के प्याज का पूर्व में निर्यात राज्य व्यापार उद्यम के माध्यम से अनुमत था।

(अनुप के. पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/180/922/एएम08/पीसी III/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)